## **Total Fund for SC Category under Component Plan**

- \*869. SHRI ISHWAR SINGH, M.L.A.: Will the Welfare of SCs and BCs Minister be pleased to state:-
- a) the total amount allocated for the scheduled caste category under the component plan in the last 2 years in State together with the method of allocation thereof:
- b) whether it is a fact that the graph for not spending the component plan fund completely for the development of scheduled castes is increasing continuously; and
- c) whether the Tribal Sub Plan and Special Component Plan have been prepared by the State together with the details thereof?

DR. BANWARI LAL	Minister, Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana.

## **REPLY**

Sir,

- a) An amount of Rs.14977.47 Crores (Rs. 7367.29 Crores for 2018-19 & Rs. 7610.18 Crores for 2019-20) was allocated under the Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) in the last 2 years in the State. Planning Department is responsible for identification and allocation of the schemes of different departments under SCSP which is done in accordance with NITI Aayogs detailed norms for selection of schemes and funds that fall under SCSP. Planning Department allocates funds to all departments concerned with implementation of SCSP. Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department is the nodal department to monitor the implementation of SCSP Schemes.
- b) No sir.
- c) The Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) is being formulated, implemented and monitored as per guidelines of the NITI Aayog, Govt. of India. The Tribal Sub Plan is not prepared by the State as there are no Scheduled Tribes notified for Haryana.

\*\*\*\*

## कम्पोनैंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए कुल आबंटित राशि

तारांकित प्रश्न नं0 869 में श्री ईश्वर सिंह, विधायक द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि:—

- क) राज्य में गत् 2 वर्षों में कम्पोनैंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के तहत कुल एलोकेट की गई राशि और साथ में आबंटन की विधि भी बताई जाये
- ख) क्या यह तथ्य है कि अनुसूचित जातियों के विकास के लिए पूरी तरह से घटक योजना निधि को खर्च नहीं करने का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और
- ग) जनजाति उप योजना और विशष घटक योजना राज्य द्वारा एक साथ तैयार किये गये हैं, का विवरण दिया जाये।

\_\_\_\_\_

डॉ0 बनवारी लाल,

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री, हरियाणा

\_\_\_\_\_

श्रीमान् जी,

उत्तर,

- क) राज्य में गत् दो वर्षों में अनुसूचित जाति उप योजना (एस०सी०एस०पी०) के तहत 14977.47 करोड़ रू० की राशि वर्ष 2018—19 में और वर्ष 2019—20 में 7610.18 करोड़ रू० की राशि आंवटित की गई थी । योजना विभाग अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की योजनाओं की पहचान और आबंटन के लिये जिम्मेदार है, जोकि नीति आयोग के अनुसार योजनाओं और राशि के चयन के लिये विस्तृत मापदंडों के अनुसार किया जाता है जो एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत आते हैं । योजना विभाग एस०सी०एस०पी० कार्यान्वन से सम्बंधित सभी विभागों को राशि आबंटित करता है । अनुसूचित जातियां एंव पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग योजनाओं के कार्यान्वन की निगरानी करने वाला नोडल विभाग है ।
- ख) नहीं श्रीमान् जी ।
- ग) अनुसूचित जाति उप योजना (एस०सी०एस०पी०) नीति आयोग, भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार तैयार, कार्यान्वन और निगरानी की जा रही है। जनजाति उप योजना राज्य द्वारा नहीं तैयार की जाती क्योंकि हरियाणा के लिये कोई अनुसूचित जनजाति अधिसूचित नहीं है।